न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–4, सहारनपुर।

उपस्थितिः– मोहित शर्मा, उच्चतर न्यायिक सेवा।

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या– 3651/2026

CNR No. UPSP010084842026

साजिद पुत्र शराफत, निवासी ग्राम हरियाबांस, थाना गागलहेडी, जिला सहारनपुर।

..... आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार।

मुकदमा अपराध संख्या 159/2014
धारा 136 विद्युत अधिनियम,
थाना गागलहेडी, जिला सहारनपुर।

19.08.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त साजिद की ओर से मु0अ0सं0 159/2014 धारा 136 विद्युत अधिनियम, थाना गागलहेडी, जिला सहारनपुर के मामले में यह जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त दौरान विचारण न्यायालय द्वारा जारी गैर जमानती वारण्ट के अनुपालन में गिरफ्तार होकर दिनांक **16.08.2026** से कारागार में निरूद्ध है।

2. जमानत प्रार्थना–पत्र के साथ रियासत पुत्र शराफत का शपथ–पत्र दाखिल किया गया हैं, जिसके अनुसार अभियुक्त की ओर से यह जमानत प्रार्थना–पत्र है, वर्तमान में इसके अतिरिक्त कोई जमानत प्रार्थना–पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष न तो प्रस्तुत किया गया है, न ही निरस्त हुआ है और न ही विचाराधीन है।

3. अभियोजन पक्ष के अनुसार आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर सतीश व नरेन्द्र के खेतों पर लगे नलकूप के जोड़े से उनका ट्रांस्फार्मर नीचे गिराकर उसके अन्दर का कीमती सामान व तेल चोरी करने का आक्षेप है।

4. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक को सुना गया।

5. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से मुख्य रूप से यह बहस की गई है कि आवेदक इस मामले में पूर्व से जमानत पर था। नियत दिनांक को उसकी माता की तबियत अत्यधिक खराब हो जाने के कारण वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका तथा अनुपस्थिति के कारण न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध गैर जमानती वारण्ट जारी करने का आदेश पारित कर दिया गया, जिसके अनुपालन में दिनांक 16.08.2026 को सम्बंधित थाने की पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उसे रिमाण्ड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया तथा रिमाण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 309 दण्ड प्रक्रिया संहिता का वारण्ट बनाकर उसे जिला कारागार भेजा गया, तभी से वह जेल में निरूद्ध है। उसके द्वारा जानबूझकर कोई गलती नहीं की गयी है। प्रार्थना–पत्र के माध्यम से अभियुक्त की ओर से उसे दौरान विचारण जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया गया है।

6. राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए, जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

7. पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या 24/2014 में पारित आदेश दिनांकित 08.08.2014 के अनुसार वह जमानत पर था। दौरान विचारण नियत दिनांक को अभियुक्त के अनुपस्थित रहने के कारण न्यायालय द्वारा जारी गैर जमानती वारण्ट के अनुपालन में वह दिनांक 16.08.2026 से इस मामले में कारागार में निरूद्ध है। अनुपस्थिति के सन्दर्भ में अभियुक्त की ओर से दर्शित कारण पर्याप्त है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत् मामले के गुण–दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना अभियुक्त की जमानत हेतु आधार पर्याप्त है। तदनुसार जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

8. आवेदक/अभियुक्त **साजिद** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अंकन **25,000/–** रूपये का नवीन व्यक्तिगत बन्ध–पत्र एवं समान राशि का एक विश्वसनीय नवीन प्रतिभू दाखिल करने पर उसे धारा 437 दण्ड प्रक्रिया संहिता में उल्लिखित शर्तों के अधीन दौरान मुकदमा जमानत पर अवमुक्त किया जाये।

(मोहित शर्मा)
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–4, सहारनपुर।

दिनाँक 19.08.2026

Digitally signed by MOHIT SHARMA
Date: 2026.08.19 04:21:34 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court